

समाप्त

107 द.प्र.स. न्याय पंचायत जुलाई-2018

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

मोहर 2905 सरकार

बनाम

रिंकू मिश्रा वीरह

M-54/2018 आदेश पत्रक

17/4/18

अभिलेख संख्या :- एम. 54 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 17/18

123

17/4/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द.प्र.स. 107 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 3/5-18 को उपस्थापित करें।

17.4.2018
अनुमंडल दण्डाधिकारी,

खूँटी

20/05/19

द्वितीय पक्ष अनुपरिचयती चूरी पंचायत ७५
उत्तर २०१८ शांति प्रती संपन्न हो चुका है। कमी
अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(३)
२०.०५.१९